



प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनांक 28.11.2024

बागपत पुलिस ने 16 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 16 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सुलेमान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम सिंघावली अहीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-वकील पुत्र खलील निवासी ग्राम सिंघावली अहीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3-आरिफ पुत्र असगर निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

4-सोबी उर्फ सोमेन्द्र पुत्र सुक्के उर्फ महेन्द्र निवासी गढ़ी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

5-अय्यूब पुत्र हकीमुल्ला निवासी ग्राम दरकावदा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

6-युनुस पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम बाखरपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

7-कुलदीप पुत्र श्रीनिवास निवासी ग्राम ईदरीशपुर थाना दोघट जनपद बागपत ।

8-राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र भवर सिंह निवासी ग्राम पट्टी अहिरान कस्बा खेकडा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

9-सतवीर पुत्र हरपाल निवासी मौहल्ला कैलाशपुरी नाले की पट्टी के पास कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

10-वसीम पुत्र यामीन निवासी ग्राम सांकरौद थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

11-रहीसू पुत्र शरीफ निवासी बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ।

12-मीनू पुत्र शरीफ निवासी बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ।

13-रामवीर पुत्र महीपाल निवासी बाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

14-राजेन्द्र पुत्र योगराज निवासी हसनपुर जिवानी थाना रमाला बागपत

15-विशाल पुत्र रामाल सिंह निवासी ग्राम ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत

16-साहिद पुत्र इसाक निवासी ग्राम सिंघावली अहीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम ।

2-थाना चांदीनगर पुलिस टीम ।

3-थाना बिनौली पुलिस टीम ।

4-थाना बालैनी पुलिस टीम ।

5-थाना दोघट पुलिस टीम ।

6-थाना खेकडा पुलिस टीम ।

7-थाना बडौत पुलिस टीम ।

8-थाना रमाला पुलिस टीम ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 28.11.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 267/2024 धारा

191(2)/191(3)/190/103(1)/352/351(2)/115(2)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित

01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.11.24 को थाना बिनौली पर वादिया ने सूचना कि अभियुक्तगण 1.प्रमोद पुत्र गजे सिंह, 2.अनुज पुत्र प्रमोद, 3.अनिल उर्फ लीलू पुत्र जीत सिंह, 4.प्रवीण पुत्र सुबोध व 02 महिला समस्त निवासीगण ग्राम मालमाजरा द्वारा एक राय होकर लाठी डन्डो व हथियारो से लेस होकर वादिया व वादिया के पति रमेशपाल के साथ गाली-गलौच कर लाठी डन्डो से मारपीट की व वादिया के पति रमेशपाल को अभियुक्त अनुज पुत्र प्रमोद द्वारा तमंचे



से गोली मार दी जिससे वादिया के पति की मौके पर ही मृत्यु हो गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 267/24 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/352/351(2)/115(2)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 267/24 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1) /352/351(2)/115(2)/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनिल उर्फ लीलू पुत्र जीत सिंह निवासी ग्राम मालमाजरा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

नोट – उपरोक्त अभियोग से से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों प्रमोद पुत्र गजे व अनुज पुत्र प्रमोद को दिनांक 17.11.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2- है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 चालक सचिन कुमार थाना बिनौली जनपद बगापत ।

